

न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री छीतरसिंह

किस्म मुकदमा - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
34/19	29/07/19	27/08/19

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

श्री हुकमसिंह पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम तहसील बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हरनगर ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री हुकमसिंह पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम तहसील बयाना ने ग्राम नगला रूपराम की चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 115 में कुल 1.52 हैक्टे में से रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2076 में अनाधिकृत रूप से ढैचा की फसल कर अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भूराजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 08/08/19 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर, नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल उपस्थित नहीं आया। और न ही उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में गैर सायल द्वारा अपना जबाव पेश किया गया। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2076 में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमित आराजी की किस्म चारागाह है। जो सार्वजनिक मूक जानवरों के उपयोग में आता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं रहता है। बल्कि ऐसे अतिचारी के विरुद्ध प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो अन्य लोग भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करेंगे और अतिक्रमण को बढ़ावा व प्रोत्साहन मिलेगा। अतः फसल खरीफ में अतिचारी श्री हुकमसिंह पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम तहसील बयाना को ग्राम नगला रूपराम की चारागाह भूमि खसरा नं 115 में रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 1.04 रुपये का पचास गुना राशि 52 रुपये की शास्ति आरोपित की जाकर मौके से बेदखल कर अतिक्रमित भूमि पर खड़ी फसल को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार बेदखली, नीलामी एवं वसूली हेतु संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना को वापस नामकी  
श. वे. सं. 04 न. वे. सं. 1-7-  
दिनांक 3-9-19 का बवं 19-20  
वेनस्टो न. 52 फसल नीलामी  
का ना चुका है।  
3-9-19  
तहसीलदार बयाना  
तहसीलदार बयाना

तहसीलदार  
बयाना